

BGL/SEC/NSE/3/MAY 2019-2020**BGL/SEC/BSE/2/MAY 2019-2020****May 15, 2019**

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400001

SYMBOL: BHARATGEAR**STOCKCODE: 505688**

Sub: Published Advertisement to Shareholders for Basis of Allotment of Rights Issue of Shares

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the advertisement for Basis of allotment of Rights Issue of Shares published by the Company in the newspaper i.e. "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) on 15th May, 2019.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**



Prashant Khattry
Head (Legal) & Company Secretary



Encl: As above

This is only an advertisement for information purpose and not an Allotment Advice

आयकर विभाग ने दीपक तलवार के खिलाफ 11 आरोपपत्र दायर किए

नई दिल्ली, 14 मई (भाषा)।

आयकर विभाग ने कॉरपोरेट विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ उनके और उनकी कंपनियों के जरिए कथित कर चोरी के मामले में 11 आरोपपत्र दायर किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पिछले हफ्ते आयकर

अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोजन शिकायतें दायर की गईं। सूत्रों ने कहा कि छह नई शिकायतें हैं जबकि बाकी विभाग के जरिए तलवार के खिलाफ 2017 में दायर मुख्य शिकायतों पर पूरक आरोपपत्र हैं। यह आलम-अलग आकालन वर्ष से संबंधित हैं। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपपत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि जांच से यह खुलासा हुआ आरोपी ने जटिल वैश्विक करपोरेट ढांचों के कई निकायों

लाभ हासिल किया जिसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरीशस, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों से उसे धन प्राप्त हुए।

उन्होंने कहा कि ऐसी रकम के कुछ हिस्से को कई चरणों में विदेशों से निवेश के लिए भारत लाया गया। अधिकारी ने कहा कि अब तक हुई जांच से यह सामने आया है कि खरादा (तलवार) कई दूसरे विदेशी बैंक खातों से जुड़ा है और इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।

चुनाव सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाले तीन मीडिया संगठनों को कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली, 14 मई (भाषा)।

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर चुनाव सर्वेक्षण जारी करने के लिए तीन मीडिया संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान सर्वेक्षण आधारित इन मीडिया रिपोर्टों में लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम का आकलन किया गया है। आयोग ने तीनों मीडिया संगठनों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया हुए इन्हें अगले

48 घंटों में यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न इनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126ए के तहत कार्रवाई की जाए। महत्वपूर्ण है कि तीनी मीडिया संगठनों ने हाल ही में लोकसभा सीटों पर हार जीत के अनुमत के आधार पर संभावित आंकड़े प्रस्तुत कर यह बताया था कि चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसे चुनाव सर्वेक्षण का ही एक तरीका माना है। चुनाव आचार संहिता के नियमों के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव सर्वेक्षण या एंक्वायरी पोल जारी नहीं किए जा सकते हैं।

त्रिपुरा में दूसरी एकीकृत सीमा चौकी के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी

अगरतला, 14 मई (भाषा)।

केंद्र ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ व्यापार और द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए त्रिपुरा में एकीकृत सीमा चौकी (आइसीपी) और दो नए सीमा हाटों के निर्माण संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने उमंगलार को यह जानकारी दी।

त्रिपुरा के डोलांग एवं वाणिज्य विशेष सचिव किरण गिते ने बताया कि यह फैसला दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक के दौरान किया गया।

दो राज्यसभा सीटों और विधान परिषद की चार सीटों के लिए चुनाव 7 जून को

नई दिल्ली, 14 मई (भाषा)।

चुनाव आयोग ने असम से दो राज्यसभा सदस्यों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संतिजु कुचुर का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हो रही दोनों सीटों के लिए आगामी सात जून को चुनाव कराने का फैसला किया है। इसके साथ बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना की चार विधान परिषद सीटों के लिए भी चुनाव होगा।

आयोग द्वारा मंगलवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 जून को रिक्त हो रही असम की दो राज्यसभा सीटों पर सात जून को मतदान होगा।

असम से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य
डा. सिंह और कुजूर का छह वर्ष का

कार्यकाल 14 जून को पूरा हो रहा है।
आयोग ने इसके साथ ही बिहार की दो और
महाराष्ट्र व तेलंगाना की एक-एक विधान
परिषद सीट के लिए भी सात जून को मतदान
कराने का फैसला किया है।
इममें से तीन सीटों सदस्यों के निधन और
एक सीट सदस्य के त्यागपत्र के कारण रिक्त
हुई है।

तेलंगाना के विधान परिषद सदस्य हनुमंत हनुमंत राव मीनमपल्ली के पिछले साल 11 दिसंबर को इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। राव का कार्यकाल 29 मार्च, 2023 तक था।

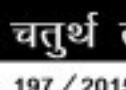
इसके अलावा बिहार से विधान परिषद सदस्य डा. सूरज नंदन प्रसाद व सईद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन और महाराष्ट्र से विधान

परिषद सदस्य शिवाजी राव बापूसो देशमुख
के निधन के कारण तीनों सीटें रिक्त हुई थीं।
उच्च सदन की दो और विधान परिषद की
चार सीटों के लिए 21 मई को अधिसूचना
जारी की जाएगी।

उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 28 मई है जबकि 29 मई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन वापस ले सकेंगे।

सात जून को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इसके बाद शाम पांच बजे मतगणना की जाएगी।

राज्यसभा सदस्य के चुनाव में संबद्ध राज्य की विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं। असम से राज्यसभा की सात सीटें हैं। इनमें से छह सीट कांग्रेस के पास हैं।



आर सी. सं. 197/2015

वसूली अधिकाारी—। का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण—II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेर्सर वरदान एग्रोटेक प्रा. लि.

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी नं. 1

(क)

(ख)

(ग)

सीडी नं. 3 (I)

इसके अलावा:

सीडी नं. 4

मेर्सर वरदान एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
(परिसमापन में) आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से,
दिल्ली के उच्च न्यायालय में संलग्न है,
ए-2 डब्ल्यू/2, कर्जन रोड, बैरक, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।

श्री द्वारका नाथ
(कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मृतक के बाद से)
श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व. श्री द्वारका नाथ
पता: एच-5/41, सेक्टर-XI, शहीदगिरी, दिल्ली-110085.

श्रीमती एकता शर्मा पुत्री स्वो श्री द्वारका नाथ
पता: शर्मा कॉलोनी, हमीदा रोड, भोपाल, एम.पी.

श्रीमती गीता वत्स पुत्री श्री द्वारका नाथ
टी-8, पोले रोड, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110010

श्रीमती हिंदिरा शर्मा पत्नी स्व. श्री द्वारका नाथ
द्वारका विहार, 43.2 किलोमीटर स्टेशन, एनएच-1, जीटी कर्नाल रोड, बालगढ़, 131201, जिला-सोनीपत, हरियाणा।

पता: 131, एचएसआईडीसी, औद्योगिक एस्टेट, कुडली, तहसील और जिला: सोनीपत, हरियाणा।

डॉ. (कमल) राजेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री द्वारका नाथ
खण-VI, (सामदायिक केंद्र के पास) सेक्टर-5, 131, बालगढ़ (हरियाणा)।

द्विक प्रभावित व्यक्ति। ऋणी वसुली अधिकार— द्वारा वसूली प्रमाणपत्र 197 / 2015 में ओएफ. नं. 81 / 2009 दिनांक 21.06.2015 वर्षीय रु 4,08,13,937.00 (रुपये चार करोड़ आठ लाख तेरह हजार नौ सौ शतीस रुपये मात्र) के साथ-साथ सर्टिफिकेट देनदार नंबर 1 से 4 को लागत रु. 1,50,000/- के अतिरिक्त तिथि 16.03.2009 से आगे का ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष को वसूली करने का नोटिस जारी किया है।

2. और कोई अधोःस्थापनी ने कथित वसूली प्रमाणपत्र के साक्ष्य में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के आदेश दिये हैं।
3. एतद्वादा सूचित प्रकिया जाता है कि आप किसी भी स्थगन के आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्ति की बिक्री 21.06.2019 की तारीख 11 बजे से दोप. 12 बजे के बीच यदि जरुरी हुआ तो दोप. 12 बजे के बाद बोली अवधि में 5 मिनट स्तर- विस्तार के साथ ई- नीलामी के माध्यम से सी जाएगी और "नीलामी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" द्वारा वेबसाइट- <https://drt.auctiontiger.net> के द्वारा आयोजित की जाएगी।
4. उपरोक्त नामित सीडी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री जाएगी और कथित सम्पत्ति पर देनदारियाँ एवं दावे जिनके बारे में अब तक पता चलता है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्दिष्ट किया गया है।
5. अनुसूचि में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लॉट बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति में किसी एक मात्र बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि पूरा लॉट समाप्त हो जाता है, बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बताया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है तो अधोःस्थापनी के पास प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।
6. कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी ड्यूटी बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
7. बिक्री आयकर अभिविनय, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी।
8. संचलन सूची में विनिर्दिष्ट विधायक अधोःस्थापनी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किए गये हैं लेकिन अधोःस्थापनी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर ज़ाबानदेवी नहीं होगी।
9. 2 संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 1.28 करोड़ (रुपये एक करोड़ अठाईस लाख मात्र) जिससे कम मूल्य पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी और घोरेहार गांव राशि रु. 12,80,00, - (रुपये बारह लाख अस्सी हजार मात्र) है।
10. 3 इच्छुक बोलीदाता जो वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-11 दिल्ली के कार्यालय में 19.06.2019 को सायं 5.00 बजे तक पैक कार्य, पेधान पत्र, फोन का प्रमाण आदि 21.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे के बीच आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने की वसूली दी जाएगी। यदि नीलामी खत्म होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो समाप्त अवधि स्वतः ही 5 मिनट अनतिरिक्त कर दी जाएगी।
11. बोली राशि रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के गुणांक में बढ़ायी जाएगी।
12. असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद कार्यालय वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-11, दिल्ली / सीएच को बि बैंक ऑफ इंडिया हे से अपनी ईमेल बोली प्राप्त कर सकते हैं।
13. सफल / उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली / बिक्री की 25 प्रतिशत राशि, ईमेल की समायोजित करने के बाद, ई-नीलामी सम्पत्ति के 24 घण्टे के अन्दर वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-11, दिल्ली, ए / सी आर सी. से, 197 / 2015 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट, प 3 और तैयार कर के वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-11, दिल्ली के पास जाना करे या भेजे ताकि वह ई-नीलामी सम्पत्ति के ऊँडि के अन्दर पहुँच जाए, असफल रहने पर घोरेहार गाँव जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की वसूली 25 प्रतिशत राशि नीलामी बिक्री की तिथि से 15वीं दिन या अन्य अवसर पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-11, दिल्ली ए / सी, आर सी. नं. 197 / 2015 के पक्ष में डिमांड शुल्क और रु. 10,000/- से अधिक के साथ रजिस्टर्ड, डीआरटी-11 दिल्ली के पास में रु. 1000 तक 2 प्रतिशत की दर से पाउडेज शुल्क और रु. 1000/- पर ओरिजनल सवाल पर 1 प्रतिशत की दर से पाउडेज शुल्क को जमा करना होगा (झाक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर यह उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)।
15. निश्चित अग्रिम में भुगतान में चुक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री पर सिरे से सी जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्योगधारा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जान की गई राशि, यदि अधोःस्थापनी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय का मुद्दे के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चुककर्ता क्रेता, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्विक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जम्मे मान्य होंगे।
16. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है यथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।
17. अधोःस्थापनी के पास अनुसूचि पर आए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्राथमिकित्व करने का अधिकार सुरक्षित है।

	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति के संबंध में	सम्पत्ति के बाबत पेश किया गया कोई दावा तथा अन्य कोई बात
बिक्री की जा रही सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राज्यस्	देय किसी ऋणभार का विवरण	विरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
संपत्ति प्लॉट नंबर 2, जानकी नगर (बुद्धिका कॉलोनी) अशोक कॉलोनी, पुढानी जिला अन्तर्गत के सामने, करगल, हरियाणा	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(शिव कुमार)
वसूली अधिकारी-1
डीआरटी-11, दिल्ली

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 08.05.2019 को दिया गया।

 HDB FINANCIAL SERVICES From the trusted family of HDFC Bank	पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस, 3, पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर पिन कोड: पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-3002001	सर्वफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी विक्री सूचना
कम्पनी के बकायों की वसूली के लिये "जैसा है जहाँ है आधार" तथा "जो भी नहीं है आधार" पर उसकी विधायिका करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिप्रतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।	सम्पत्ति का विवरण	1. आग्रीकृत मूल्य 2. सम्पत्ति का ईम्पटूडी
1. ऋणधारकों/को एवं गारन्टर/रों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर के कार्यालय में क्रमिक 2012010809, तिथि 6 जुलाई, 2012 में मै. रितु विजनेस को सम्पत्ति से दबे पंजीकरण दस्तावेज के अनुसार आग्रीकृत, प्लॉट नं.-712, भीमगंज टावर, ब्लॉक डी, 3 रा रोड, सारगपुरा, जोधपुर-342001 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौड़ाई: उत्तर: सामूहिक मार्ग, दक्षिण: प्लॉट नं. 712 (ब्लॉक "सी") का रोप भाग, पूर्व: सामूहिक मार्ग, 6' एवं पश्चिम: प्लॉट नं. 712 (ब्लॉक "सी") का रोप भाग।	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईम्पटूडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
रितु विजनेस प्राइवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों) जे-190, एम.आई.ए. 2रा फेज बस्ती जोधपुर-342001, श्रीमती उमा श्रीवास्तव, ए-100, फर्स्ट एक्स्टेंशन, कमला नेहरू नगर, जोधपुर-342001, श्री गुमार श्रीवास्तव ए-100, फर्स्ट एक्स्टेंशन, कमला नेहरू नगर, जोधपुर-342001, श्री अजय भागवत, ए-100, फर्स्ट एक्स्टेंशन, कमला नेहरू नगर, जोधपुर-342001, लाम कन्दुस्थान, तथा रितु विजनेस प्राइवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों), प्लॉट नं. 712, भीमगंज टावर, ब्लॉक डी, 3 रा रोड, सारगपुरा, जोधपुर-342001 ऋण खाता नं. 724532 एवं 2252732 कुल बकाया: 12 जून, 2018 को रु. 30867636/- (रुपये तीन करोड़ आठ लाख सड़स हजार छः सौ सत्तसय मात्र) जिस पर आप वास्तविक वसूली तक अनुषंगिक खर्चे, लातन, चार्जेंज के लिये भी उत्तरदायी हैं।	1) ई-नीलामी की तिथि: 18.06.2019 को 10.30 पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक 5 मिनट के आगे विस्तार के साथ। 2) केवाईडी के साथ ईम्पटूडी जमा करने की अंतिम तिथि: 15.06.2019 के 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि: 13.06.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. आईएसटी	आग्रीकृत मूल्य (आईएनआर में) रु. 3,62,55,000/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र) ईम्पटूडी राशि (आईएनआर में) रु. 36,25,500/- (रुपये छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

प्रश्नों से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संपूर्ण हो जाएं।

ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें

- यह नीलामी <https://sarfaesi.auctiontiger.net> या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के असीमित विलामी के संघर्ष में संचालित किया जाएगा जिसमें, ई-प्रॉक्सीमेंट डेस्क-नीलामीजो.लिवि. (Auction Tiger) अहमदाबाद (दली.: 079-61200580/598/554/559/587), समर्पक व्यक्ति श्री तिलक मारवाड़ा, ईमेल: tillak@auctiontiger.net, rajasthan@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net संपर्कित जा सकता है जो ई-बोली के लिये जरूरी है। कृपया ध्यान रहे कि संचालित बोलीदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) "एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पैसे आर्डर द्वारा या "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBCC0000021, एमआईडीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लक्की का पुल, हैदराबाद को खाता में एचएफएफटी/ आरटीजीएस द्वारा यथेष्ट राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ को अपलोड करना होगा: 1) एचएफएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर को प्रति, 2) पै न काई को प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पारसेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई-कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पंजीकृत लीव लाइसेंस अनुबंध) को प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा साथ ही उन्हें ईआईकोपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करा होगा।
- बोली के पक्ष ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व "एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय, दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBCC0000021, एमआईडीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लक्की का पुल, हैदराबाद को खाता में एचएफएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरबित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जाएगा।
- विधिवत रूप में नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अथवा जमा जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जाएगा। ईएमडी को, अख्तियार नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आठ उपचार के विना ज्वर कर दी जायेगी। लेकिन, ब्याज बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
- जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरबित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
- सम्पन्न बोलीदाता को तत्काल निम्न अधिकार अथवा कार्य दिवस तक "एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो दिल्ली में देय हो अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBCC0000021, एमआईडीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लक्की का पुल, हैदराबाद को खाता में एचएफएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% विक्री मूल्य (ईएमडी सिल्ट) का भुगतान करना है तथा साथ विक्री का भुगतान करना है तथा साथ विक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कमानी द्वारा विक्री की गुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा देय ईएमडी के ही साथ विक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सम्पन्न बोलीदाता विक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चुक करने हैं तो जमा की गई ईएमडी या 10% विक्री मूल्य, रैजिस्ट्री में जमा हो, ज्वर कर दी जायेगी।
- विक्री की शर्त के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "विक्री प्रमाणपत्र" जारी किया जायेगा। रैजिस्ट्री ड्यूटी, पंजीकरण फीस, कानूनीयता, ट्रीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्च का वहन क्रेता को ही करना होगा।
- यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण से अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत स्वीकृत/ एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाया देवताओं जैसे बकाया पानी/ बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जज, यदि कोई हो, के लिये कोई उत्तरदायी नहीं लेता है।
- सम्पन्न बोलीदाता को किसी विवादिक प्रक्रिया के लक्ष्य बकाये, यदि कोई हो/ करों/ नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/ एजेंसी के उपयोगिता विलों तथा टैक्स् शुल्क/ विक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सभी खर्च का वहन करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सची प्रस्तावों/ बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा विक्री को स्थगित रह करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्री को किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की विक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें इंटर-से-बिडिंग की अनुमति अपनी इच्छा से देने का अधिकार प्राप्त है।
- सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में कंपनी को कंपनी को छोड़कर किसी या शरी संघर्ष पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के फिन्डेस के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं है अथवा कोई प्रमेयबोध नहीं करती है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी भी, एलएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होगे।
- आगे, उसकी वास्तविक वस्तु तक लागू होने वाले, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अनुभांगिक खर्च, लागत जो देय एवं बकाया हो, वो वस्तु की जागी।
- एतद्वारा ऋणधारकों(की)/ मॉर्टेगैज(रें) को सूचित किया जाता है कि विक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे विक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति को खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/ खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर प्रस्ताव/ निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन-लाइन ई-नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी विक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> देखें। ऑन लाइन बोली सत्रों की उच्च वेबसाइट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> से डाउनलोड की जा सकती है अथवा एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड के संबंधित शाखा से निर्माण की जा सकती है। संचालकों के साथ बोली प्रपत्र को प्रति ऑन लाइन (यूटीआर नंबर उल्लेख करते हुए) जमा की गई संबंधित प्रबंधक, श्री प्रशांत टोटी, मो. नं. 9928818000 एवं विकास आनंद मोबाइल नं. 9711010389 के पास एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड, पता-3 पार्क स्ट्रीट, एचडीबी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिन कोड 560001 पम्प के सामने खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान-3002001 में ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में या उससे पूर्व जमा की जा सकती है। (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरणों को देखें।)
- संपत्ति की विक्री "जैसा है जहां है तथा जो है अथवा" पर की जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता कंपनी के चार्जज के आरबित किसी प्राधिकरण के संपत्ति पर अधिभारों, दावों तथा सांख्यिक बकायों के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व टाइटल, विस्तार, गुणवत्ता, संपत्ति की मात्रा के विषय में स्वयं को संपूर्ण कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के चार्जज, अधिभारों अथवा अन्य किसी मामले पर ऑन लाइन बोली जमा करने के बाद तथा किसी भी चरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह कंपनी की शर्तों पर अथवा एक्जिशन कार्रवाई आदि सहित किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता को इस संदर्भ में टैनेन्ट्स के साथ जमा कम्पनी की क्षति की पूर्ति भी करनी होगी। यह कंपनी के लिए एचएफटी के निर्यात की सेवा में क्षतिग्रस्त नहीं है।
- यह प्रकाशन इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं खर्च के साथ अपनी संपूर्ण देवताएं निर्धारित करने तथा उपरोक्त बकाए राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 6 (2), (8) (6) एवं नियम 9 के अनुपालन में उपरोक्त ऋण खाता के ऋणधारक/ मॉर्टेगैज/ गारंटर्स के लिए 30 (तीन) दिनों की सूचना भी है अथवा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिपूर्त परिसंर्तियों की विक्री कर दी जाएगी। यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर तर्जही दी जाएगी तथा विरसित दूर करने के लिए उसे निर्णायक माना जाएगा। यदि विक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारंटर्स कंपनी की बकाया देवता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी।

विस्तृत विवरणों तथा पृष्ठछाछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड, श्री प्रशांत राठी, मोबाइल नं. 9928818000; एवं किसी विकास आनंद, मोबाइल नं. 9711010384 से संपर्क करें।

स्थान: जयपुर

तिथि: 15.05.2019

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीबी फाइनंसियल सर्विसेस लिमिटेड

नई दिल्ली